



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1379]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 11, 2019/चैत्र 21, 1941

No. 1379]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 11, 2019/CHAITRA 21, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2019

का.आ.1558(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसी अपेक्षा है कि ताम्र खनन उद्योग में लगी ऐसी सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 13 के अधीन आती है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा बनाया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने अंतिम बार उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4336(अ), तारीख 6 सितम्बर, 2018 द्वारा तारीख 6 सितम्बर, 2018 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में छह मास की एक और अवधि के लिए उक्त उद्योग की लोकहित उपयोगी प्रास्थिति के विस्तार की अपेक्षा की जाती है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उद्योग में लगी सेवाओं को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. एस.-11017/11/1997-आईआर (पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2019

S.O. 1558(E).— Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the Copper Mining Industry which is covered under item 13 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 6th September, 2018 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 4336(E), dated the 6th September, 2018;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the said industry to be a public utility service for a period of six months with the effect from the date of publication of this notification.

[F. No. S.-11017/11 /1997- IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.